OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin Singh Bhadauria I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 2-11-2018 at time 3.30 P.M. at Almora in which application claiming rights **of Quarban** area measuring **0.945 hec.** for the मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 6.00 किमी0 of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of .Bhikiyasain.sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE: 2/11/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Lata/D/mahesh sir/ Vinod Sir-Land tranefer Proplgal Reheddhaar (Mr. Vikram S.)

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.........................

Dated....2/11/18...........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.945 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनरा मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दल्मोड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य लम्बाई 6.00 कि0मी0 हेतु **district Almora within jurisdiction of Sinar, Kherkhet, Kamrar Village (s) in bhikiyasain tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.945** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure.................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
District Collector,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.........................   Dated.....2/11/18..........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.945 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 6.00 किमी0 हेतु **district Almora within jurisdiction of Kamraad, Sinaar and Khobada Village (s) in bhikiyasain tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.945 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Quarban** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Lata/D/mahesh sir/Vinod Sir-Land tranefer Proplgal Reheddhaar (Mr. Vikram S.)

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु सिविल भूमि **0.945** है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैन) की दिनांक 1-11-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री** गौरव चटवाल .... उपजिलाधिकारी, भिकियासैन अध्यक्ष

2– **श्री** चन्दनगिरि गोस्वामी .... उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, सदस्य

3– **श्री** राजेन्द्र सिंह .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, , सदस्य/सचिव

4– श्री निर्मला शर्मा .... बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिकियासैन परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु 0.945 हे0 भूमि, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भिकियासैन, जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भिकियासैन, जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तहसील–भिकियासैन जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु सिविल भूमि 0.945 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12-8-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– कमराड़, सिनार एवं खोबड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत -
विकास खण्ड भिकियासैन

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कमराड़
वि0ख0–भिकियासैन /अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.4

दिनांक 12-8-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कमराड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोपालसिंह	गोपाल
2-	नन्दन सिंह रावत	[illegible]
3-	राजेन्द्र रावत	[illegible]
4-	धनसिंह	[illegible]
5-	कुन्दनसिंह रावत	Kundan Singh
6-	हीरासिंह रावत	हीरासिंह रावत
7-	देवसिंह रावत	देवसिंह
8-	हिम्मत सिंह	[illegible]
9-	डिकरसिंह	[illegible]
10-	बहादुरसिंह रावत	बहादुरसिंह
11-	पूरनसिंह रावत	[illegible]

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कमराड़
पो०/वि०ख०–भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789 / 2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील–भिकियासैन जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789 / 2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु सिविल भूमि 0.945 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिनार द्वारा दिनांक 12-8-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– सिनार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

R.S. Rawat

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि0 ख0 भिकियासैन
जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र—30.4

दिनांक 12-8-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नारायणसिंह रावत	नारायणसिंह रावत
2.	किशनसिंह रावत	किशनरावत
3.	चन्द्रावती देवी	चन्द्रावती देवी
4.	रमेश चन्द्र सिंह	[illegible]
5.	लक्ष्मणसिंह	[illegible]
6.	बहादुरसिंह	बहादुरसिंह
7.	देवेन्द्रसिंह	देवेन्द्रसिंह
8.	उमादेवी	उमा देवी
9.	शोबनासिंह	[illegible]
10.	हंसीदेवी	हंसी देवी
11	बद्रीसिंह	[illegible]
	मधुली देवी	मधुली देवी

R.S. Rawat

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत अधिकारी
वि० ख०.....[illegible].....
जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील–भिकियासैन जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु सिविल भूमि 0.945 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खड़खेत द्वारा दिनांक 12-8-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम– खड़खेत एवं खोलड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि0 ख0 भिकियासैण
जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

पुष्पा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खड़खेत
भिकियासैण (अल्मोड़ा)

Lata/D/mahesh sir/ Vinod Sir-Land tranefer Proplgal Reheddhaar (Mr. Vikram S.)

प्रपत्र–30.4

दिनांक 12-8-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खड़खेत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री नारायण सिंह रावत	[illegible]
2	श्री नारायण सिंह	नारायणसिंह
3	श्री बहादुर सिंह रावत	बहादुरसिंह रावत
4	श्रीमती कुन्ती देवी	कुन्ती देवी
5	श्रीमती हंसी देवी	हंसी देवी
6	श्री बची सिंह	
7	श्री दिवान सिंह	दीवानसिंह
8	श्रीमती उमा देवी	उमा देवी
9	आशा रावत	आशा रावत
10	बलवन्तसिंह रावत	B. Rawat
11		

ग्राम प्रधान

पुष्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत खडखेत
विकासखण्ड भिकियासैण (अल्मोड़ा)